राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बरार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बरार

प्रकरण सं. – 13/2014 रे0वा0 निर्णय दिनांक – 08.06.2015

अनवान

1. श्री देवीसिंह पुत्र दुदसिह जाति रावत निवासी मायलाखेत बरार तहसील भीम।
2. श्री जसवंतसिंह पुत्र दुदसिंह जाति रावत निवासी मायलाखेत बरार तहसील भीम।

वादीगण

बनाम

1. श्री जेठसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत निवासी रा0बा0उ0मा0वि0 के सामने बरार तहसील भीम
2. श्री भैरूसिंह पुत्र भूरसिह जाति रावत निवासी जैमाजी का वास बरार तहसील भीम
3. श्रीमति सरस्वतीदेवी पत्नि इन्द्रसिंह जाति रावत निवासी जैमाजी का वास बरार तहसील भीम
4. श्री लालचंद्र पुत्र ताराचंद्र जाति कलाल निवासी हॉस्पीटल के सामने बरार तहसील भीम।
5. श्री चंद्रप्रकाश पुत्र अमरलाल जाति प्रजापत निवासी कुम्हारो का मोहल्ला बरार तहसील भीम
6. श्री लक्ष्मणलाल पुत्र अमरलाल जाति प्रजापत निवासी कुम्हारो का मोहल्ला बरार तहसील भीम
7. श्री जगदीशचन्द्र पुत्र अमरलाल जाति प्रजापत निवासी कुम्हारो का मोहल्ला बरार तहसील भीम
8. श्रीमति फेफी बेवा अमरलाल जाति प्रजापत निवासी कुम्हारो का मोहल्ला बरार तहसील भीम
9. श्री मादुसिंह पुत्र लुम्बसिह जाति रावत निवासी आठोलिया कुशलपुरा तहसील भीम
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 आरटीए

ग्राम बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
294	6565	00	15	00	बंझड
कुल किता 1 रकबा 15 विस्वा					

वादपत्र संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 294 में वर्णित खसरा संख्या 6565 कुल किता 1 रकबा 15 विस्वा के रेकॉर्डेड खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण है जिसमें वादीगण देवीसिंह व जसवंतसिंह पिता दुदसिंह का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 का 1/24 हिस्सा होकर उस पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 को उपरोक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा कर अपने हिस्से में आई हुई आराजियात को अपने हिस्से की भूमि को अपने–अपने खाते दर्ज करा उसके विभाजन की बात कई मगर प्रतिवादी सख्या 1 से 9 कोई बहाना बनाकर टालते रहते है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बरार** में पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। वर्णित आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हिस्सेअनुसार मौके पर काबिज कब्जा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्से अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पीठासीन अधिकारी